# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

## अपील/डिक्री/टीए/4514/2017/बीकानेर

श्रीमति शान्ति देवी पत्नि गंगाराम जाति जाट निवासी चक 7 ए.एम. अखूसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

**.....अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत जिला बीकानेर।
2. एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा गोडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर जरिये मैनेजर।

**.....प्रत्यर्थीगण**

**खण्ड–पीठ**
**श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष**
**श्री अविनाश चौधरी, सदस्य**

**उपस्थित :**

श्री बद्रीप्रसाद सांखी, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, विद्वान उप राजकीय अभिभाषक।

**निर्णय**

**दिनांक**

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–5–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि चक 22 बी.एस.एम. के मुरब्बा नं. 67/56 के किला नं. 1 ता 5, 7 ता 14, 16 ता 25, कुल रकबा 23 बीघा अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार की अनुमति के बिना गैर कृषि कार्य अर्थात् जिप्सम निकालने का कार्य किया जा रहा है। लिहाजा आराजी जैर को बहक

सरकार दर्ज किया जाये। उक्त वादपत्र को अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी कोलायत द्वारा वाद स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा रेकार्ड व मौके की स्थिति के विपरीत जाकर खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि चक 22 बी.एस.एम. के मुरब्बा नं. 67/56 के किला नं. 1 ता 5, 7 ता 14, 16 ता 25, कुल रकबा 23 बीघा भूमि निहित है। उक्त भूमि के बाबत् प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा उसके धारण की कृषि भूमि पर अकृषि कार्य अर्थात् जिप्सम खनन कार्य करते हुए कृषि भूमि के मूल स्वरूप को परिवर्तित किया जा रहा है। अतः उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त वादपत्र पर संबंधित पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का द्वारा मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अभिलिखत किया गया कि चक 22 बी.एस.एम. के मु.नं. 67/56 के किला नं. 14 व 15 में अवैध जिप्सम खनन हो रहा है। मौके पर खातेदार शांति देवी पत्नि गंगाराम का पुत्र रेवन्तराम द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। इस प्रकार संबंधित पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की भूमि के किला नं. 14 व 15 में ही अवैध खनन होना पाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के विपरीत जाकर अपीलार्थी की समस्त भूमि अर्थात् 23 बीघा भूमि को आराजी राज दर्ज करने व प्रत्यर्थी सं. 1 को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश विधि विरूद्ध तरीके से प्रदान किये गये है। उन्होंने आगे कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है उक्त रिपोर्ट एकतरफा तौर पर प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। ऐसी एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि को

सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश विधिविरूद्ध तरीके से प्रदान किये गये हैं, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर कभी भी अवैध रूप से जिप्सम खनन का कार्य नहीं किया गया है। उक्त तथ्य को साबित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत व मौके की स्थिति के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी आदेश जैर अपील पारित करते हुए इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी भूमि पर किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं किया गया है। केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत् रखने में अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि कारित की गई है। उनका यह भी कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बिना किसी प्रकार की तनकीयात कायम किये निर्णय व डिक्री जारी की है। लिहाजा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाये जाये एवं प्रकरण पुनः नये सिरे से निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित की जावे।

4– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर गैर कृषि कार्य अर्थात् अवैध जिप्सम खनन का कार्य किये जाने की स्थिति में तहसीलदार कोलायत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत् वादपत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी की भूमि बहक सरकार दर्ज करने का निवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह पाये जाने पर कि अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम खनन का कार्य किया जा रहा है। अपीलार्थी के धारण की भूमि को बहक सरकार दर्ज करने व अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश विधिसम्मत् तरीके से प्रदान किये गये। उक्त आदेश की पुष्टि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा

भी इस आधार पर की गई है कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि अपीलार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि पर गैर कृषि कार्य अर्थात् जिप्सम खनन का कार्य नहीं किया गया हो। लिहाजा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील खारिज की जाये।

5– उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी तहसीलदार कोलायत द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्व वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजी पर राज्य सरकार की अनुमति के बिना गैर कृषि कार्य अर्थात् जिप्सम निकालने का कार्य किये जाने पर आराजी जैर को बहक सरकार दर्ज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी कोलायत द्वारा वाद स्वीकार कर डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा रेकार्ड व मौके की स्थिति के विपरीत जाकर खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। हमने अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट दिनांक 21–12–2015 का अवलोकन किया। संबंधित पटवारी द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकन किया गया है कि चक 22 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 67/56 के किला नम्बर 14 व 15 में अवैध खनन किया जा रहा है। संबंधित पटवारी द्वारा वादगत् भूमि के मौके की रिपोर्ट तैयार करते समय न तो खनन विभाग के किसी प्रतिनिधि को शामिल किया गया व ना ही मौके के फोटोग्राफ आदि ही प्रस्तुत किये गये है। मौका रिपोर्ट पर केवल मात्र पटवारी के

हस्ताक्षर है उसके अतिरिक्त मौके पर उसके साथ उपस्थिति अन्य किसी व्यक्ति के ब्यान/हस्ताक्षर रिपोर्ट दिनांक 21–12–2015 में अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिपोर्ट अधूरी व एकमात्र पटवारी द्वारा ही तैयार किया जाना साबित है। प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् मौके की रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु तहसीलदार, कोलायत को पत्र क्रमांक राएए/बीका/17/170 दिनांक 14–03–2017 लिखे जाने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। संबंधित पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03–04–2017 को आराजी जैर के बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अभिलिखित किया गया कि उक्त रकबा समतल व काश्त योग्य है तथा वर्तमान में खनन नहीं होने का भी अभिनेखन किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा आराजी जैर के बाबत् भिन्न–भिन्न एवं विरोधाभासी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना परिलक्षित होता है।

7– प्रकरण में अन्य विचारणीय प्रश्न यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादप्रकिया अनुसार वादपत्र में नियमानुसार साक्ष्य लेकर आवश्यक विवाद्यक बिन्दु कायम करते हुए विवाद्यक–वार न्यायिक विवेचना करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि उनके द्वारा वाद प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, केवल मात्र स्टेट के वाद में बिना प्रक्रिया अपनाये, बिना साक्ष्य लिये सरसरी तौर पर निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ है तथा वह किसके द्वारा किया गया है, अपीलार्थी मौके पर काबिज है या नही ? वर्तमान में मौके की क्या स्थिति है आदि तथ्यों पर विवाद बिन्दु कायम करते हुए समुचित निष्कर्ष अंकित किया जाना चाहिए था। जिसका अभाव विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में पलिक्षित होता है।

8– इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अपील/डिक्री/टीए/381/2006/बीकानेर के पैरा संख्या 14 का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया, जिसमें अभिलिखित किया गया है किः–

''In the result, the procedure adopted by the trial court in dismisstion the suits and the procedure adopted by the first appellate court in dismissing the first appeals is completely against the procedure established by law. In AIR 2009 SC 1433 'Vidyabhai Vs. Padmalatha', it was held that the date on which the isssues are settled is the date of first hearing. Therefore, the courts below committed illegalities in pre-juding the cause of the plaintiffs without following due process of law. The learned trial court in its enthusiasm for speeding up the trial of the case committed material illegalities and adopted its own mechanism of deciding the suits. No doubt, justice to the litigants must be provided without dealy but the same time such type of hurried trail leads to miscarriage of justice. To secure an early and expeditious trial of the suits, the fairness of trial and principles of natural justice must not be sacrificed. Therefore, the questions of law framed above are asnwered in favour of the plaintiffs/appellants and against the defendants/respondents. The appeal filed by the plaitiffs/appellants deserve to be accepted."

उक्त निर्णय प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है। प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में पारित निर्णय व डिक्री को पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बिना विवाद्यक विरचित किये अपीलार्थी की अपील को खारिज करने में विधिक एवं तातविक त्रुटि कारित की गई है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय पुष्टि योग्य नहीं होने से अपीलार्थी की हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9- अतः उक्त विवेचनानुसार एवं न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का निर्णय व डिक्री दिनांक 29-12-2016 व अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का आदेश दिनांक

26–05–2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में आवश्यक तनकीयात कायम करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान कर तनकीवार पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अविनाश चौधरी)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष